निर्देश | विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अब बचे मात्र 13 दिन

31 मार्च तक मिशन मोड में रहकर लक्ष्य करें पूरा : निगमायुक्त

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम सीमा के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के लिए एक और राहत निगम प्रशासन ने प्रदान की है। बैठक में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले करदाताओं को अधिभार से मुक्ति पाने का एक बेहतरीन मौका दिया है। उन्होंने बताया कि अब इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए मात्र 13 दिन शेष बचे हैं।

समीक्षा बैठक में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व वसूली की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर के विकास कार्यों के लिए समय पर करों का भुगतान अनिवार्य है। इस मौके पर केवल राजस्व विभाग ही नहीं, बल्कि जल, स्वास्थ्य, बाजार, कॉलोनी सेल और भवन शाखा को भी राजस्व वसूली के अभियान में पूरी सक्रियता से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

निगमायुक्त ने सभी विभागों को आगामी 31 मार्च तक आवंटित लक्ष्य पूरा करने के लिए 'मिशन मोड' में काम करने को कहा गया है।

लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

आयुक्त ने दो-टूक शब्दों में कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य केवल वसूली करना नहीं, बल्कि नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाना भी है। उन्होंने कहा कि अधिभार रहित टैक्स जमा करने की यह सुविधा नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न केवल जनता के पैसे बचेंगे, बल्कि प्राप्त राशि का उपयोग शहर की स्वच्छता, सड़कों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह, सहायक आयुक्त शिवांगी महाजन, आनंद मिश्रा, के साथ सभी विभागीय अधिकारी और राजस्व अमले आदि उपस्थित रहे।

फूफा की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम टिकरी में लाठी-डंडों से पीट-पीटकर फूफा की हत्या करने वाले भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18-19 मार्च की दरम्यानी रात करीब 1 बजे ग्राम टिकरी निवासी दिलीप सिंह गौड़ (39) का अपने फूफा सुनील सिंह उर्फ लल्लू गौड़ (36) के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई थी। आवेश में आकर दिलीप ने सुनील पर लाठी और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया था। सीएसपी अधारताल सुश्री राजेश्वरी कौरव ने बताया कि मामले` हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया था। फरार आरोपी दिलीप सिंह गौड़ को घेराबंदी कर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुर्दे की कराई फर्जी रजिस्ट्री : षडयंत्र रच उठाया 9 .66 लाख का ऋण

- **ओमती पुलिस ने आठ जालसाजों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर**

जबलपुर। जालसाजों ने षडयंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृत व्यक्ति को जीवित बताते हुए नकली व्यक्ति को उप पंजीयक कार्यालय कलेक्ट्रेट में बैठाकर फर्जी रजिस्ट्री कराई और उस आधार पर बैंक से 9,66,652 रूपए का लोन लेकर डकार गए। ओमती पुलिस ने मामले में आठ जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक दीपेन्द्र चतुर्वेदी ने शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी योग्यता अनुसार होम लोन, प्रापर्टी लोन उपलब्ध कराती है। जिसकी शाखा नेपियर टाउन रसल चौक में है। चंदन सिंह बैन पिता मुन्ना लाल बैन निवासी शताब्दी पुरम, उखरी रोड ने सुहागी स्थित एक प्लॉट (खसरा नं. 37/1) पर होम लोन के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ उसने 25 मार्च 2018 का एक पंजीकृत विक्रय विलेख (सेल डीड) पेश किया। दस्तावेज के मुताबिक चंदन सिंह ने यह जमीन हीरा लाल बैन से खरीदी थी। बैंक ने दस्तावेजों को सही मानते हुए लोन आवेदन पर 9,66,652 रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया।

ऐसे हुआ भंडाफोड़

ऋणी चंदन सिंह द्वारा लोन की किश्तें न चुकाने के कारण बैंक ने 8 मई 2024 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया। इसके बाद बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया। 9 अक्टूबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बैंक के पक्ष में आदेश भी जारी कर दिए। मामले में असली मोड़ तब आया जब हीरा लाल बैन की पत्नी नर्मदा बाई बैन ने इस कार्रवाई के खिलाफ डीआरटी जबलपुर में याचिका दायर की। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि उनके पति हीरा लाल की मौत 6 दिसंबर 2011 को ही हो चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौत 2011 में हो गई, उसने 2018 में रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर चंदन सिंह के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कैसे कर दी स्पष्ट है कि आरोपी चंदन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को हीरा लाल बनाकर खड़ा किया और फर्जी तरीके से विक्रय पत्र निष्पादित करवाया।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ प्रकरण

शाखा प्रबंधक दीपेन्द्र चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत में बताया कि चंदन सिंह ने सोची-समझी साजिश के तहत बैंक के साथ धोखाधड़ी की और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धन का गबन किया। ओमती पुलिस ने मामले मतें ओमती पुलिस ने शारदा प्रसाद बुन्देला निवासी सुहागी, चंदन सिंह निवासी बेलबाग, जानकी उर्फ गनेश बर्मन निवासी गढ़ा, दिनेश शलभ निवासी लार्डगंज, अनूप सिंह ठाकुर निवासी रामनगर गढ़ा, विशाल अग्रवाल निवासी ग्वारीघाट, शरद सिंह, धीरज बेन दोनों निवासी फूटाताल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जिन्होंने फायनेंस कंपनी धोखाधड़ी की। फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे व्यक्ति के नाम की संपत्ति को क्रय विक्रय करने का झूठा षडयंत्र रच ऋण स्वीकृत कराया।

बकायादारों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई, 11 नल कनेक्शन काटे

- **संभाग क्रमांक 2 में 9 दुकानों में की गयी तालाबंदी**

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की, नल कनेक्शन काटने, भूमि अधिग्रहण एवं दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के उपरांत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

गुरुवार को संभाग क्रमांक 2 कछपुरा के संभागीय अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 17 में सम्पत्ति कर बकाया राशि 195250/- होने पर 9 दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार सभी संभागों में 55 बकायादारों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की गयी साथ ही 11 नल कनेक्शन भी काटे गए। कार्रवाई के दौरान सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, करसंग्रहिता आदि उपस्थित रहे।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी करदाताओं से अपील की है, कि अपने बकाया करों का भुगतान समय पर करें और निगम की अप्रिय कार्रवाई से बचें। उन्होंने बताया कि अब मात्र अधिभार रहित बकाया करों की राशि जमा करने के लिए आप सभी करदाताओं के पास 12 दिन शेष हैं।

हथियार बेचने आये दमोह के दो तस्कर गिरफ्तार

- **कार से चार पिस्टल, आठ करतूस जब्त**

जबलपुर। पाटन पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने नाकाबंदी कर एक स्विफ्ट कार से 4 अवैध देशी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में दमोह निवासी दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो हथियारों की खेप बेचने की फिराक में थे। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है कि वे यह फायर आर्म्स कहाँ से लाए थे और किसे बेचने वाले थे। पुलिस को उम्मीद है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े तस्करों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

गुरूवार को पुलिस कंट्रोल रूम में नगर पुलिस अधीक्षक केंट, डीएसपी क्राइम उदयभान बागरी ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक काले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी 30 जेड जी 4139 में दो युवक सवार हैं। ये युवक अपनी कार की पिछली सीट पर रखे थैले में भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस लेकर किसी ग्राहक को सप्लाई करने की फिराक में पाटन-तेंदूखेड़ा मार्ग से गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच एवं पाटन पुलिस की संयुक्त टीम ने भडया पीपल के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर में तेंदूखेड़ा की ओर से आती हुई संदिग्ध स्विफ्ट कार दिखी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोका। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट पर एक लाल रंग का कपड़े का थैला मिला, जिसमें 4 देशी पिस्टल और 8 कारतूस छिपाकर रखे गए थे।

इन्हें दबोचा गया

पाटन थाना प्रभारी गोपिन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि मौके से मयंक राजपूत (28) निवासी जबलपुर नाका, गुप्ता कोल्ड्रिंग के पीछे, दमोह, राहुल उर्फ सूरज सिंह लोधी (27) निवासी सिविल वार्ड नंबर 4, कोतवाली जिला दमोह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 8 कारतूस, 3 मोबाइल,वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार जब्त कर ली है।

खौफनाक : युवक पर फेंक दी खौलती शराब, बुरी तरह झुलसा

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम चरखी में एक दबंग ने मजदूरी के पैसे मांगने पर एक युवक की पीठ पर खौलती हुई कच्ची शराब फेंक दी। जिससे युवक की पीठ बुरी तरह जल गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम चरखी निवासी आशीष उर्फ गुड्डू गोटिया (30) को गांव के ही बेडीलाल गोटिया ने लालच दिया था कि यदि वह कच्ची शराब बनाने में उसकी मदद करेगा, तो उसे 500 रुपये मजदूरी दी जाएगी। आशीष के अनुसार वह बीती रात बेडीलाल के साथ तालाब के किनारे नाले के पास गया और रात भर उसके साथ मिलकर कच्ची शराब बनवाई। सुबह करीब 6 बजे जब काम खत्म हुआ, तो आशीष ने अपनी मेहनत की कमाई 500 रुपये मांगी। पैसे मांगने की बात सुनते ही बेडीलाल आगबबूला हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बेडीलाल ने पास में ही भट्टी पर चढ़ी खौलती हुई कच्ची शराब का बर्तन उठाया और आशीष की पीठ पर उड़ेल दिया। अचानक हुए इस हमले से आशीष चीख उठा और उसकी पीठ बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने आशीष की शिकायत पर आरोपी बेडीलाल गोटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

एक नजर में

ट्रेन मैनेजर्स और रनिंग स्टाफ को मिली बड़ी सौगात

जबलपुर, नवभारत। एनएफआइआर डब्लूसीआरएमएस ने रनिंग स्टॉफ व ट्रेन मैनेजर्स को दिलाई बड़ी सौगात अब किमी भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। 7वे वेतन आयोग में उल्लेखित है कि 50 प्रतिशत डीए होने पर समस्त भत्तो में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी । 50 प्रतिशत डीए होने पर किलोमीटर अलाउंस को छोड़कर अन्य सभी भत्तो में 25त्न की बढ़ोतरी का आदेश रेलवे बोर्ड से जारी हुआ था । संघ प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि रनिंग स्टॉफ व ट्रेन प्रबंधको ने उक्त पीड़ा को एनएफआईआर के संयुक्त महामंत्री व डब्ल्यू.सी.आर.एम.एस. के महामंत्री अशोक शर्मा के समक्ष रखा जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए श्री शर्मा ने पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित एनएफआईआर के कार्यालय जाकर एनएफआईआर के महामंत्री डॉ एम राघवैया को अवगत कराया तत्पश्चात दोनो मजदूर नेताओ ने वित्त मंत्रालय सचिव और रेलमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे पर फिर से उनका ध्यान आकृष्ट कराया था जिस पर उन्होने जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया ।

अब प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड से इसके औपचारिक आदेश 1-2 दिन में जारी होने की प्रबल संभावना है । श्री शर्मा ने यह भी कहा कि उक्त केएमए भत्ते का आदेश 01 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा जिस के फलस्वरूप प्रत्येक रनिंग स्टॉफ व ट्रेन मैनेजर्स को 50 हजार से लेकर 2 लाख तक की एरियर्स राशि को सौगात एनएफआईआर वीसीआरएमएस के माध्यम से मिलेगी । उक्त सफलता पर संघ के मंडल सचिव डी.पी. अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष एस.एन. शुक्ला संयुक्त महामंत्री संदीप श्रोती, सतीश कुमार, हर्ष वर्मा, सविता त्रिपाठी, आर.ए. सिंह, संतोष त्रिवेणी, रोशन यादव, एक.के. सिंह, योगेन्द्र कुमार, भूपत सिंह, संजय चौधरी, सुधीर कुमार, दीपक केसरी, बॉबी धोलपुरे, तरूण बत्रा, दुर्गा तिवारी, श्याम कला श्रीवास्तव, डॉली सक्सेना, सरला, शरद कुमार, आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे मजदूर आन्दोलन की बड़ी जीत बताया है ।

डीजल चोरों ने ट्रक ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

नवभारत, जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बीती रात बेखौफ डीजल चोरों ने एक ट्रक चालक पर प्राणघातक हमला कर उसे मरणासन्न कर दिया। वारदात उस वक्त हुई जब ट्रक खराब होने के कारण चालक तिन्सी फाटक के पास खड़ा होकर रात गुजार रहा था। विरोध करने पर बदमाशों ने ड्राइवर के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पचपेढ़ी सिवनी निवासी राजेश राठौर का आईसर ट्रक एम एच 49 ए टी 7397 नागपुर से फ्लैक्स पाइप लोड कर कानपुर जा रहा था। इसे तिलबोड़ी निवासी रोहित उर्फ राजा परते (26) चला रहा था। बुधवार शाम करीब 5 बजे तिन्सी फाटक स्थित अपना ढाबा के पास ट्रक की क्लच प्लेट खराब हो गई। मैकेनिक ने अगले दिन आने की बात कही, जिसके चलते रोहित रात में ट्रक की सुरक्षा के लिए वहीं रुक गया।

कार में हमलावर, डीजल टैंक का लॉक तोड़ा, ड्राइवर की खुली नींद- रात करीब 3 बजे कुछ अज्ञात बदमाश एक कार में सवार होकर आए और ट्रक के डीजल टैंक का लॉक तोड़कर तेल चोरी करने लगे। आहट पाकर जब रोहित की नींद खुली और उसने चोरों को रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण रोहित लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब वाहन मालिक और ठेकेदार मौके पर पहुंचे, तो दृश्य भयावह था। ट्रक के पिछले टायर के पास खून बिखरा हुआ था और डीजल टैंक खुला पड़ा था। घायल रोहित को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले जाया गया, जहाँ वह वर्तमान में बेहोश है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर हाईवे के ढाबों और टोल प्लाजा पर लगे कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

टेलीग्राम के जरिए फैलाया ठगी का नेटवर्क, विदेश तक जुड़े तार

जबलपुर। शेयर बाजार में निवेश पर 500 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर शहर की एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर सघन पूछताछ कर रही है। जिसमें ठगी नेटवर्क से जुड़े आरोपियों ने नए राज उगले है। इसके साथ नए नाम भी पुलिस को बताये है जो दिल्ली-मुंबई निवासी है। जिसकी तफ्तीश चल रही है यहां भी टीमें दबिश देने की तैयारी में है। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि ठगी का मकड़जाल सोशल मीडिया के टेलीग्राम के जरिए फैलाया गया था और इसके तार विदेश तक जुड़े हुए है।

आरोपियों ने बताया किवे फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम से करेंट अकाउंट खुलवाते थे। इन्हीं खातों का उपयोग साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर करते थे। पूछताछ में आरोपियों द्वारा और भी राज उगलने की संभावना है। आज रिमांड खत्म होने पर तीनों को पुन: न्यायालय पेश किया जायेगा ।

विदित हो कि साइबर ठगों ने शहर में महिला को अपने जाल में फंसाने के लिए लुभावने वादे किए थे। आरोपियों ने दावा किया था कि शेयर बाजार में निवेश करने पर प्रतिदिन 5 का रिटर्न और दीर्घकालिक निवेश पर 500 प्रतिशत तक का मुनाफा मिलेगा। इसके साथ ही, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बहाने और सस्ते दर पर बल्क ट्रेडिंग में शेयर दिलाने का झांसा देकर महिला से किश्तों में कुल 2.27 करोड़ रुपये ऐंठ लिए गए। धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़िता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज किया था। मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद एक अन्य आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा पिता भवानी प्रसाद विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर प्रोडक्शन वारंट में शहर लाया है। पूर्व में पकड़े गए आरोपी रोहित भगोरिया और तरुण ने अभिषेक की संलिप्तता की जानकारी दी थी। अभिषेक एक आदतन साइबर अपराधी है, जो पहले से ही मुंबई वर्ली साइबर पुलिस स्टेशन और नागपुर राणा प्रताप नगर थाना के धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद था। इसके अलावा रवि कुमार पिता जय भगवान निवासी ग्राम बिंझौल थाना मॉडल टाउन पानीपत, कमल कश्यप पिता सुरेन्द्र कश्यप निवासी बिंझौल पानीपत को भी गिरफ्तार किया है। अभिषेक विश्वकर्मा समेत तीनों को रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम से करेंट अकाउंट खुलवाते थे। इन्हीं खातों का उपयोग साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

शांति नाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत दमोहनाका स्थित शांति नाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोर ने भगवान की प्रतिमा के पास रखा कीमती चांदी का छत्र पार कर दिया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक आलोक जैन निवासी शांति नगर ने बताया कि वे मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के बगल में रखा चांदी का छत्र अपनी जगह पर नहीं है। छत्र गायब देखकर आलोक जैन ने तत्काल मंदिर के पुजारी और समिति के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। जब किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली, तो मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज चेक करने पर पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति बड़े ही शातिर तरीके से मंदिर से छत्र उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। चोरी गए चांदी के छत्र की अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के हुलिए की पहचान कर रही है। जैन समाज ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और छत्र की बरामदगी की मांग की है।

रेल कर्मचारियों को अब क्वार्टर नहीं छोडना होगा

- **रेलवे बोर्ड ने नियमों में बढ़ाई ढील**

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे सहित देश के उन हजारों रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनका तबादला दूसरे जोन या प्रोजेक्ट्स में होता रहता है। अब उन्हें ट्रांसफर होने पर पुराना रेलवे आवास नहीं छोडना होगा।

रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश 18 मार्च को जारी कर पुराने रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने (रिटेंशन) के नियमों में बड़ी ढील दी है। सामान्य तौर पर रेलवे कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उनका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो जाता है। ऐसे में उन्हें अपना पुराना रेलवे क्वार्टर खाली करना पड़ता है, जिससे परिवार और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। अब कुछ खास जोन और प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर होने पर कर्मचारी अपना पुराना घर रिटेन (पास रख) सकेंगे। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में निर्धारित लाइसेंस फीस पर-अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर एसईसीआर, डब्ल्यूसीआर, ईसीओआर, एनईआर, ईसीआर, एसडब्ल्यूआर जैसी रेलवे, यूनिट्स या आरसीएफ, एमसीएफ जैसी वर्कशाप में होता है, तो वे तय फीस देकर पुराना घर रख सकते हैं।

रिन्यू नहीं कराना होगा

दूसरी श्रेणी में सामान्य लाइसेंस फीस पर- अगर पोस्टिंग नार्थ फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर), साउथ कोस्ट रेलवे (एससीओआर), रायगड़ा (ओडिशा) या जम्मू जैसे नए डिवीजनों और यूएसबीआरएल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है, तो कर्मचारी सामान्य किराए पर ही पुराना घर रख पाएंगे। इस सुविधा हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब तक बोर्ड की तरफ से अगला कोई आदेश नहीं आता, तब तक यह सुविधा जारी रहेगी। यानी अब कर्मचारियों को बार-बार एक्सटेंशन की चिंता नहीं करनी होगी।

दुर्दशा | सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर जिम्मेदारों पर कसे जा रहे तंज

दुर्दशा का शिकार जय नगर पार्क

- **कमला नेहरू नगर वार्ड का मामला**

नवभारत,जबलपुर। कमला नेहरू नगर वार्ड लेबर चौक, यादव कॉलोनी स्थित जय नगर उद्यान इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो चुका है और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। आलम ये है कि उद्यान के गेट तत्वों ने तोड़ दिए हैं आवारा मवेशियों का डेरा लगने लगा है । स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर पार्क की बदहाली की तस्वीर बयां की है और दु:ख व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों पर तंज कसते हुए कहा है कि आप लोग अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलिए और पार्क के विकास की ओर ध्यान दीजिए। स्थानीयजनों ने ये भी बताया कि शाम ढलते ही शराबियों का जमघट पार्क में लगने लगता है जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की भी मांग लोगों ने की है।

बिल पास कराया, लेकिन काम नहीं हुआ

रहवासियों ने ये कहा कि जय नगर पार्क के पास के लोगों के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए अंडर ग्राउंड नाला निर्माण का ठेका जिसे दिया गया था उसने अपना बिल तो पास करा लिया लेकिन धरातल पर काम करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। आलम ये है कि कॉलोनी के पूरे गंदे पानी की निकासी के लिए अभी भी स्थानीय लोग मोहताज हैं।

आधी रात घेराबंदी कर पकड़ा रेत से भरा ट्रैक्टर, चालक गिरफ्तार

जबलपुर। बेलखेड़ा पुलिस ने देर रात सुनाचर नर्मदा घाट से अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे एक बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार देर रात जब बेलखेड़ा पुलिस की टीम गश्त पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि सुनाचर नर्मदा नदी की ओर से एक बिना नंबर का महिंद्रा ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन करते हुए मनकेड़ी की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और मनकेड़ी चौराहे पर घेराबंदी की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर जब ट्रैक्टर को रोककर तलाशी ली, तो उसमें भारी मात्रा में अवैध रेत भरी पाई गई। पुलिस ने जब चालक अखिलेश लोधी 30 वर्ष निवासी ग्राम सुनाचर से रेत के दस्तावेज और रॉयल्टी रसीद मांगी, तो वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका।

पूछताछ के दौरान आरोपी चालक अखिलेश ने खुलासा किया कि वह ट्रैक्टर मालिक हेमराज के निर्देश पर सुनाचर नर्मदा घाट से रेत की चोरी कर उसे मनकेड़ी की ओर खपाने ले जा रहा था। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है। पुलिस अब ट्रैक्टर मालिक की तलाश में जुटी है।